साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू–अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

एल0ए0 वाद संख्या 106 / 2018–19 / 936 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक – 24.11.18

चूंकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि **मौजा – महाराजपुर गौरीपुर चादर सं0 – 3, थाना – बरहरवा, थाना सं0 – 54–12, अंचल – बरहरवा, जिला – साहेबगंज** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **मोगलपाड़ा (NH-80 पर) – महाराजपुर–बिन्दुपाड़ा–फरीदपुर (पश्चिम बंगाल बॉडर तक) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **मौजा – महाराजपुर गौरीपुर चादर सं0 – 3, थाना – बरहरवा, थाना सं0 – 54–12, अंचल – बरहरवा, जिला –साहेबगंज** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.007** एकड़ यानि ------x---- हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	397	687	रैयती	धानी दोयम	0.007	फैजूल शेख पिता – अब्दुल शेख सा0 – निजग्राम				
				कुल रकवा –	0.007					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30 / 2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय / विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

23/11/18

उपायुक्त,
साहेबगंज।